



दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मुख्य योजना -2021 की समीक्षा
Master Plan Review-2021

पंजीकरण फार्म
REGISTRATION FORM

“ओपन हाउस मीट्स”
“OPEN HOUSE MEETS”

Zone -41

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए
Form to be filled by Participant

नाम Name	KARAN JAIN
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्ल्यू ए / व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual	Partshel - Director (Plg) R&R/TC, D.D.A. DELHI-2 Dy. No. 2947 Dated: 11/5
वर्तमान स्थिति Present Position	Business
फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	9311202634, 27049514 C-4/161 Sector 6 Rohini 9313902634
फैक्स : Fax :	
ई-मेल E-mail	
पता : Address :	C-4/161 Sector 6 Rohini
हस्ताक्षर : Signature :	Karan Jain
तिथि : Date :	11/5/2019

35
Suggestions handed over
to the moderator

“अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं
“Submit your registration form at the venue of Open House meets.”

35

To

The Commissioner/Planning
DDA Office, Madhuban Chowk,
Rohini, Delhi

मान्यवर,


हम रोहिणी क्षेत्र के निवासी आपका ध्यान रोहिणी परियोजना के अंतर्गत आवंटित किये गए प्लाटों की ओर दिलाते हुए वहा रह रहे नागरिकों द्वारा नरकीय जीवन व्यतीत किये जाने पर आक्रुष्ट करते हुए निवेदन करना चाहते हैं कि :-

1. दिल्ली में रोहिणी परियोजना के अंतर्गत वर्ष 1982 में निम्न वर्ग के लोगों को 26 मीटर, 32 मीटर तथा 48 मीटर व 60 मीटर के प्लाट आवंटित किये गए थे जिसमें रहने के लिए एक कमरा ग्राउंड फ्लोर पर तथा एक कमरा पहली मंजिल पर बनाने की ईजाजत दी थी ।
2. इस आवंटन को लगभग 28 वर्ष हो गये हैं तथा इन 28 वर्षों में रहने वाले परिवारों में स्वाभाविक रूप से बढ़ोतरी हुई है लेकिन प्लाटों का साईज उतना ही रहने के कारण लोगों को अनेक प्रकार की सामाजिक एवं पारिवारिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है । एक ही परिवार में बहु बेटों सहित अन्य परिजनों का रहना काफी समस्याये उत्पन्न करता है ।
3. इस संदर्भ में हमारा आपसे विनम्र आग्रह है कि आम आदमी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन प्लाटों में दो प्लाट जोड़कर बनाने की ईजाजत दी जाये जिससे यहाँ रहने वाले लोग सुविधा पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें ।
4. इसी संदर्भ में हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि डीडीए ने पूर्व में दो प्लाटों को जोड़े जाने की योजना को फ्री होल्ड किया था और दिल्ली नगर निगम ने भी जोड़ों के 4 मंजिल के नक्शों पास किये थे ।
5. किन्तु अब डीडीए तथा दिल्ली नगर निगम दोनों ही प्लाटों को जोड़े जाने को स्वीकृत नहीं कर रहे हैं । इस द्रष्टी से हमारा आपसे आग्रह है कि मास्टर प्लान 2021 के प्रस्तावित संसोधनों में इस प्रस्ताव को भी जोड़ने की क्रपा करें ।
6. रोहिणी क्षेत्र में सिंगल स्टोरी जनता फ्लैटों में भी लगभग इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है इसलिए जनता फ्लैटों में यदि F.A.R. बढ़ाया जायेगा तो जनता फ्लैटों में रहने वाले लोग भी सुविधापूर्वक जीवन व्यतीत कर पाएंगे ।

हमें आशा ही नहीं विश्वास भी है कि नागरिकों को सुविधा दिए जाने की आपकी मंशा के कारण लोगों को सुविधा प्राप्त होगी जिसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे ।

धन्यवाद ।

आदर सहित

भवदीय

KARAN JAIN
C4/161, Sec-6,
Rohini, DELHI-85